न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र०

<u>दांडिक प्रकरण क-612/2010</u> <u>संस्थित दिनांक-28.12.2010</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा	
आरक्षी केन्द्र चंदेरी	
जिला अशोकनगर।	अभियोजन

विरुद्ध

- पारस सैन पुत्र आशाराम सैन उम्र 28 साल, निवासी गुमट मोहल्ला,
- 2. मोहम्मद सगीर पुत्र कल्लू खां मुसलमान उम्र 29 साल, निवासी खटकयाना मोहल्ला,
- पूरन सिंह पुत्र कोमल सिंह यादव उम्र 41 साल ग्राम प्राणपुर,
- 4. अमोल सिंह पुत्र तोरन सिंह यादव उम्र 51 साल, निवासी ग्राम प्राणपुर, सभी निवासीगण तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0अभियुक्तगण

—: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 13.10.2017 को घोषित)

01—अभियुक्तगण के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 414, 379 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप है कि अभियुक्त पूरन सिंह एवं अमोल सिंह ने दिनांक 18.01.2010 को दोपहर करीबन 01:00 बजे मेला ग्राउण्ड के पास बाय पास रोड चंदेरी से फरियादी जयनारायण के आधिपत्य की तीन भैंसे व एक पड़ा उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले जाने का आशय रखते हुये उन्हें हटा कर चोरी कारित की एवं अभियुक्त पारस सैन एवं अभियुक्त मोहम्मद सगीर ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी के तीन भैंस व एक पड़ा को यह जानते हुये अथवा यह विश्वास करने का कारण रखते हुये कि वह चुराये हुये हैं, उन्हें छुपाने में या व्ययनीत करने या इधर उधर करने में अभियुक्त अमोल सिंह व पूरन सिंह की स्वेच्छया सहायता की।

02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है फरियादी जयनारायण अपनी तीन भैंसे और एक पड़ा जो हमेशा मेलाग्राउण्ड में चराने छोड़ देते थें, करीबन शाम को

पास ले आते थें दिनांक 18.01.2010 को जयनारायण कि उक्त भैंसे मजबूत सिंह यादव चराने ले गया था, जो भैंसे दोपहर में छोड दी थी, जिन्हें शाम को देखने पर नहीं मिली, भैंसों की तलाश करते रहे, जयनारायण को पता चला कि उसकी तीन भैंसे और एक पड़ा को दिनांक 18.01.2010 को सगीर और पारस सैन अपनी अपनी पिकअप गाडियों में क्रमंशः यू०पी० 93/3391 एवं एम०पी० 08/0549 में चोरी करके कहीं बेच आयें। राजकुमार द्वारा उक्त भैंसों का ह्लिया 1. एक भैंस रंग काला सींग टेढा उम्र 9 साल 2. एक रंग काला सींग डेढ बालिस्त उम्र 8 साल 3. एक भैंस रंग काला सींग एक बालिस्त उम्र 7 यसल 4. एक पडा उम्र 1 साल काला सींग बताया। फरियादी जयनारायण के द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-291 / 10 अंतर्गत धारा-379 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

04-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

- क्या अभियुक्त पूरन सिंह एवं अमोल सिंह ने दिनांक 18.01.2010 को दोपहर करीबन 01:00 बजे मेला ग्राउण्ड के पास बाय पास रोड चंदेरी से फरियादी जयनारायण के आधिपत्य की तीन भैंसे व एक पडा उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले जाने का आशय रखते हुये उन्हें हटा कर चोरी कारित की ?
- क्या अभियुक्त पारस सैन एवं अभियुक्त मोहम्मद सगीर ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी के तीन भैंस व एक पड़ा को यह जानते हुये अथवा यह विश्वास करने का कारण रखते

	हुये कि वह चुराये हुये हैं, उन्हें छुपाने में या व्ययनीत करने या इधर उधर करने में अभियुक्त अमोल सिंह व पूरन सिंह की स्वेच्छया सहायता की ?
3.	दोष सिद्धि व दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न कमांक 1, 2 व 3 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 05— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुर्नवृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है।
- 06— फरियादी जयनारायण (अ०सा०—1) का अपने न्यायालीन कथनों में यह कहना है कि करीब 5—6 साल पहले उसकी तीन भैंसे और एक पड़ा को भूपत सिंह बरोदी सुबह 08:00—8:30 बजे हौजखास चरने के लिये ले गया था, उक्त भैंसे शाम तक जब वापस नही आई, तो उसे भैंसों की चोरी होने के संबंध में पता चला तथा उसने भूपत सिंह व अन्य लोगों के माध्यम से दो तीन दिन तक चोरी गई भैंसे व पड़ा तलाश किया था जो न मिलने पर उसने थाने पर चोरी रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादी के द्वारा मुख्यपरीक्षण में चोरी की घटना के संबंध में दिये गये उपरोक्त कथनों की पुष्टि उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी—1 से भी होती है तथा फरियादी के तीन भैंसे व एक पड़ा चरने के दौरान चोरी हो गये थे, इस संबंध में फरियादी के कथनों को बचावपक्ष की ओर से उसके प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नही दी गई।
- 07— अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में साक्षी कमल सिंह (अ0सा0—7) व भागीरथ (अ0सा0—5) के कथन भी न्यायालय में कराये गये है। अभियोजन के अनुसार फरियादी की भैंसे चोरी होने की घटना के साथ इन दोनों साक्षियों की भैंसों की चोरी उसी समय हुई थीं, जिसके संबंध में अभियोजन के अनुसार इन साक्षियों ने पुलिस को दिये गये कथन प्रदर्श—पी—11 व 12 में बताया है, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय में किये गये परीक्षण में भागीरथ (अ0सा0—5) ने अभियोजन का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया तथा घटना की जानकारी होने से इन्कार किया है। भागीरथ (अ0सा0—5) घटना के संबंध में एवं स्वयं की भैंसें चोरी जाने के संबंध में पुलिस को प्रदर्श—पी—11 के कथन देने से

ही इन्कार करता है। जिससे इस साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

- 08— कमल सिंह (अ0सा0—7) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का इस बात पर तो समर्थन किया है कि 5—7 साल पहले उसकी भैंसें सिंहपुर गांव से चोरी गई थीं तथा इस साक्षी ने अपने कथनों में इस बात की भी पुष्टि की है कि फरियादी जयनारायण की भी भैंसे चोरी हुई थीं। फरियादी कमल सिंह (अ0सा0—7) के अनुसार उसने अपनी भैसों की रिपोर्ट अलग डाली थी तथा इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त रिपोर्ट उसने अज्ञात में डाली थीं। अतः कमल सिंह (अ0सा0—7) के द्वारा अपने न्यायालीन कथनों में फरियादी जयनारायण (अ0सा0—1) की भैंसे चोरी होने की पुष्टि की गई है तथा उक्त बिंदू पर अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का समर्थन भी किया गया है, जिसकों बचावपक्ष की ओर से कोई चुनौती नही दी गई है।
- 09- अतः जयनारायण (अ0सा0-1) व कमल सिंह (अ0सा0-7) के कथनों से यह तो प्रमाणित होता है कि फरियादी जयनारायण की तीन भैंसे व एक पडा उसके न्यायालीन कथन देने से 4 से 5 वर्ष पूर्व चोरी हुये थे जिसकी रिपोर्ट फरियादी के द्वारा की गई। अतः अब मुख्य रूप से यह देखा जाना है कि फरियादी की भैंसों की चोरी में अभियुक्तगण की क्या भूमिका थीं। यह उल्लेखनीय है कि फरियादी जयनारायण (अ0सा0-1) के अनुसार उसकी तीन भैंसे व एक पड़ा भूपतिसंह बरोदी चराने ले गया था, और जब भैंसे शाम तक वापस नही आई तों उसे ज्ञात हुआ कि भैंसे चोरी हो गई है। अतः जयनारायण (अ०सा०–1) के उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि उसने स्वयं अभियुक्तगण में से किसी को भैंसों की चोरी करते हुये या उन्हें घटना स्थल से ले जाते हुये नही देखा था। घटना के अन्य साक्षी कमल सिंह (अ०सा०-7), भागीरथ (अ०सा०-5) का भी अपने कथनों में कहीं भी यह कहना नहीं है कि उन्होनें फरियादी जयनारायण (अ0सा0-1) की भैंसों को अभियुक्तगण के द्वारा चोरी करते हुये या उन्हें ले जाते हुये देखा था, जिससे स्पष्ट होता है कि फरियादी जयनारायण (अ0सा0-1) की तीन भैंसे व एक पड़ा चोरी करते हुये अभियुक्तगण को देखने या उनके द्वारा घटना स्थल से ले जाने के संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य अभिलेख पर नही है।

(5)

पर चारी की घटना की जानकारी चोरी होने के बाद ही पीडित पक्ष को होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में चोरी की गये माल की बरामदगी किससे हुई एवं उक्त माल किसकी निशानदेही पर बरामद हुआ, यह मुख्य रूप से महत्वपूर्ण होता है और अभियुक्तगण के विरूद्ध चोरी का अपराध साबित करने के लिये उक्त बिंदू अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पर होता है। वर्तमान प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी की चोरी गई तीन भैंसे व एक पड़ा की बरामदगी अनुसंधानकर्ता अधिकारी जंगबहादुर (अ0सा0-4) के द्वारा की ही नहीं गई।

- 11—अभियुक्तगण सगीर व पारस सैन को प्रकरण में अभियोजित करने का अभियोजन के पास मुख्य आधार प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी—1 में फरियादी के द्वारा यह लेख कराया जाना है कि उपरोक्त अभियुक्तगण के द्वारा अपनी पिकअप गाडी यू०पी० 93—3391 एवं एम०पी० 08—0549 से चोरी करके ले जाकर बेचने की बारे में उसे जानकारी प्राप्त होना हैं। सर्वप्रथम तो यह उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी—1 में ऐसा कहीं भी लेख नही है कि फरियादी को उक्त वाहनों से भैंसों को चोरी करके बेचने के लिये ले जाने की जानकारी किससे प्राप्त हुई थीं। स्वयं फरियादी जयनारायण (अ०सा0—1) ने अपने न्यायालीन कथनों में यह तो बताया है कि उसे जानकारी मिली थी कि उसकी भैंसों को तीन लोगों ने जिनमें सें एक श्रीवास्तव का लडका अभियुक्त पारस सैन तथा लाडले टैण्ड हाउस जिसका वह नाम नही जानता है, ने चुराया था, परन्तु उक्त जानकारी उसे किस से प्राप्त हुई, यह फरियादी ने कहीं भी अपने न्यायालीन कथनों में स्पष्ट नहीं किया है।
- 12— फरियादी जयनारायण (अ०सा०—1) का अभियोजन के विरूद्ध स्वयं यह कहना है कि उसने अभियुक्त सगीर का नाम चोरी करने वालों में नही सुना तथा उसे स्वंय रिपोर्ट लिखाते समय यह जानकारी नही थी, कि आरोपीगण द्वारा भैंसों को पिकअप गाडी यू०पी० 93—3391 एवं एम०पी० 08—0549 से चोरी करके ले जाया गया। फरियादी का यह भी कहना है कि उसे स्वयं यह जानकारी नही है कि अभियुक्त सगीर व पारस सैन ने भैंसे किस स्थान पर बेची है तथा इस संबंध में वह पुलिस को भी प्रदर्श—पी—3 का कथन दिये जाने से ही इन्कार करता है। फरियादी जयनारायण (अ०सा०—1) प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यता को स्वयं ही अपने प्रतिपरीक्षण में चुनौती देते हुये यह कहता है कि उसने रिपोर्ट लिखाते समय वाहन का नंबर नही लिखाया था और न

ही यह लिखाया था कि कौन सा डायवर वाहन चला रहा था। फरियादी का यहां तक कहना है कि उसने जो लिखित रिपोर्ट घटना के दो—चार दिन बाद थाने पर दी थीं, प्रदर्श—पी—1 की रिपोर्ट वो रिपोर्ट नहीं है।

- 13— अतः फरियादी जयनारायण (अ०सा०—1) के कथनों से सर्वप्रथम तो यह प्रमाणित नहीं होता है कि उसने पुलिस को आरोपीगण के द्वारा भैंसे चोरी करने के संबंध में पिकअप गांडी यू०पी० 93—3391 एवं एम०पी० 08—0549 का रिपोर्ट प्रदर्श—पी—1 में लिखवाया था और यदि तर्क के आधार पर यह मान भी लिया जावे, कि फरियादी ने प्रदर्श—पी—1 की रिपोर्ट में यह लिखवाया था कि उसे यह जानकारी मिली है कि अभियुक्त पारस सैन और सगीर ने पिकअप गांडी यू०पी० 93—3391 एवं एम०पी० 08—0549 से भैंसे चोरी कर ले जा कर बेची है तब भी उक्त जानकारी उसे किससे प्राप्त हुई, इस संबंध में कथन स्पष्ट न होने से उक्त संबंध में उसकी साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आयेगी जो वैसे भी साक्ष्य में ग्राहय नहीं है।
- 14— कमल सिंह (अ0सा0-7) पुलिस को दिये गये कथनो के विपरीत न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को जानने से ही इन्कार करता है तथा इस साक्षी का अभियोजन कहानी के विपरीत यह कहना है कि उसकी भैंसे आरोपीगण ने चोरी नहीं की थीं, न ही उसने पुलिस को आरोपीगण के नाम बताये थे। यह साक्षी भी पुलिस के द्वारा लेख किये गये कथन प्रदर्श-पी-12 को चुनौती देते हुये यह कहता है कि उसने पुलिस को ऐसे कोई कथन लेख नहीं कराये। अतः ऐसे में यदि फरियादी जयनारायण (अ०सा०-1) व कमल सिंह (अ०सा०-7) सहित भागीरथ (अ0सा0-5) के द्वारा पुलिस को अभियुक्तगण के संबंध में एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में लेख पिकअप गाडी यू०पी० 93-3391 एवं एम०पी० 08-0549 के सबंध में कोई जानकारी ही नहीं दीं गई, तो गांडियों के आधार पर पुलिस के द्वारा प्रकरण में की गई विवेचना प्रारंभ से ही त्रुटिपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिन पिकअप गाडियों को प्रथम सूचना रिपार्ट एवं फरियादी के कथन प्रदर्श-पी-3 में उल्लेख है उन गाडियों से भैंसों को चोरी कर ले जाते हुये किस व्यक्ति ने अभियुक्तगण का देखा था या फरियादी को जानकारी दी थी, इस संबंध में पुलिस के द्वारा कोई विवेचना ही नही की गई और न ही भूपत सिंह बरोदी को साक्षी बनाया गया।
- 15— अनुसंधानकर्ता अधिकारी जंगबहादुर सिंह (अ०सा0—4) ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि उसके द्वारा दिनाक 30.08.2010 को

अभियुक्त पारस सैन व मोहम्मद सगीर को गिरफ्तार कर पारस के अधिपत्य से वाहन कमांक एम0पी0 08-0549 एवं अभियुक्त संगीर के आधिपत्य से वाहन कमांक यू0पी0 93-3391 सहित वाहनों के दस्तावेज जप्त किये थे तथा उपरोक्त अभियुक्तगण से पूछताछ की मैमोरेण्डम प्रदर्श-पी-8 व 9 बनाया था। अनुसंधानकर्ता अधिकारी जंगबहादुर सिह (अ०सा०-४) ने अपने कथनों में यह कहीं भी स्पष्ट नही किया है कि उसके द्वारा अभियुक्त अमोल सिंह व पूरन सिंह को प्रकरण में अभियुक्त किस आधार पर बनाया गया। यह उल्लेखनीय है कि जंगबहाद्र सिंह (अ०सा०-4) के द्वारा पारस सैन व सगीर से जप्ती व उनकी गिरफ्तारी, मैमोरेण्डम कथन लेने से पूर्व की गई हैं तथा प्रदर्श-पी-8 व 9 के मैमोरेण्डम के आधार पर प्रकरण में कोई जप्ती नही की गई है। प्रदर्श-पी-8 व 9 के मैमोरेण्डम में अभियुक्तगण ने जंगबहादुर सिह (अ०सा0-4) को क्या कथन दिये यह तो न स्वयं जंगबहादुर सिंह (अंग्सा0-4), जैन सिंह (अ0सा0-6) ने अपने कथनों में स्पष्ट किया हैं, बल्कि जैन सिंह (अ0सा0-6) स्वयं ही मैमोरेण्डम प्रदर्श-पी-8 व 9 पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार करता है परन्तु पुलिस के द्वारा उसके सामने अभियुक्तगण से पूछताछ कर धारा 27 का मैमोरेण्डम लिया गया, इस बात पर अभियोजन का समर्थन नही करता है।

- 16— विधि द्वारा यह सुस्थापित है कि मैमोरेण्डम जप्ती व गिरफतारी के पत्रक मात्र प्रदर्श हो जाने से स्वतः साबित नहीं होते हैं और न ही वह उसमें उल्लेखित कार्यवाही का निश्चायक प्रमाण होते हैं। उसमें उल्लेखित कार्यवाही को मौखिक साक्ष्य से साबित करना होता है जो कि वर्तमान प्रकरण में न तो जंगबहादुर सिंह (अ०सा0—4) के कथनों से साबित होता है और न ही जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षी ईदमोहम्मद (अ०सा0—2) व मुज्जफर खांन (अ०सा0—3) एवं मैमोरेण्डम प्रदर्श—पी—8 व 9 के साक्षी जैन सिंह (अ०सा0—6) के कथनों से साबित होता है।
- 17— ईदमोहम्मद (अ०सा0—2) प्रदर्श—पी—4 व 5 के गिरफ्तारी पत्रक एवं प्रदर्श—पी—6 व 7 के जप्ती पंचनामें पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार करता है, परन्तु इस साक्षी ने इस बात पर अभियोजन का समर्थन नही किया कि पुलिस ने उसके सामने अभियुक्त पारस सैन से महेंद्रा पिकअप वाहन एम०पी० 08 जी०ए० 0549 एवं अभियुक्त सगीर से महेंद्रा बुलेरो पिकअप यू०पी० 93 टी० 3391 जप्त किया था। मुज्जफर खानं (अ०सा०—3) अपने कथनों में यह तो स्वीकार करता है कि उसका महेंद्र पिकअप वाहन एम०पी० 08—0549 को

(8)

चलाता था तथा बुलेरो पिकअप वाहन यू०पी० 93 टी० 3391 साक्षी ईदमोहम्मद के नाम पर हैं, परन्तु इस साक्षी ने भी अभियोजन का इस बात पर समर्थन नहीं किया कि उक्त वाहन की जप्ती अभियुक्त पारस सैन से एवं बुलेरो वाहन कमांक यू०पी० 93 टी० 3391 की जप्ती पुलिस ने अभियुक्त सगीर की थीं।

- 18— अतः अनुसंधानकर्ता अधिकारी सहित जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षियों के कथनों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त पारस सैन से जंगबहादुर सिंह (अ0सा0—4) ने महेंद्रा पिकअप वाहन एमपी 08—0549 एवं अभियुक्त सगीर से बुलेरो वाहन कमाक यू0पी0 93 टी 3391 पुलिस के द्वारा जप्त किया गया। अभियुक्तगण सगीर व पारस सैन को उक्त पिकअप वाहनों फरियादी के भैंसों चोरी कर ले जाते हुये किसी देखा इस संबंध में अभिलेख पर न तो साक्ष्य उपलब्ध हैं और न ही अभियोजन के पास इस तथ्य को साबित करने के लिये की फरियादी की भैसें पारस सैन ने महेंद्रा पिकअप वाहन एम0पी0 08—0549 एवं अभियुक्त सगीर से बुलेरो वाहन कमाक यू0पी0 93 टी0 3391 से ले जाकर चोरी करने में अन्य अभियुक्तगण की मदद की, उसको साबित करने के लिये कोई युक्तियुक्त आधार अभिलेख पर नहीं है।
- 19— अभियुक्तगण को इस प्रकरण में अभियोजित करने के लिये अभियोजन के पास एक मात्र पारस सैन का मैमोरेण्डम प्रदर्श—पी—8 व अभियुक्त सगीर का मैमोरेण्डम प्रदर्श—पी—9 है, जो कि सर्वप्रथम तो साक्षियों के कथनों से ही साबित नहीं होता हैं ओर तर्क के लिये उक्त मैमोरेण्डम का लिया जाना एवं अभियुक्त के द्वारा मैमोरेण्डम में दी गई जानकारी पुलिस को दी गई यह मान भी लिया जावे तब भी चूंकि उक्त मैमोरेण्डम के आधार पर क्योंकि चोरी गये माल की कोई बरामदगी अनुसंधानकर्ता अधिकारी जंगबहादुर सिंह (अ0सा0—4) के द्वारा किसी अभियुक्त से नहीं की गई है, इसलिए उक्त मैमोरेण्डम के आधार पर किसी अभियुक्तगण के विरुद्ध फरियादी को भैसों को चोरी करने व चोरी करने में मदद करने के आरोप साबित नहीं होते हैं।
- 20— यह उल्लेखनीय हैं कि निश्चित रूप से मैमोरेण्डम प्रदर्श—पी—8 व 9 में यह उल्लेख है कि अभियुक्त पारस सैन व सगीर ने अभियुक्त अमोल सिंह व पूरन सिंह के कहने पर फरियादी के भैंसे चोरी करके उन्हें बेचने के लिये अपने अपने पिकअप वाहन से धौलपुर ले गये थे और यदि उक्त संस्वीकृति को अभियुक्तगण के द्वारा पुलिस को दिया जाना मान भी लिया जावे तब भी उपरोक्त कथन अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25

के तहत् साबित नही किया जा सकते है।

- 21— अतः सर्व प्रथम तो अभियुक्त पारस सैन व अभियुक्त सगीर को किसी भी व्यक्ति ने चोरी करते हुये नहीं देखा। वहीं फरियादी ने उनकी नामजद रिपार्ट पुलिस थाना चंदेरी में की थीं, यह स्वयं फरियादी ने स्वीकार नहीं किया है। घ ाटना रिपोर्ट घटना के आठ महीने बाद लेख की गई हैं। अभियुक्तगण से किस आधार पर पिकअप वाहन जप्ती किये गये उक्त आधार अभियोजन की ओर से स्पष्ट नहीं किये गये। अभियुक्तगण में से किसी के अधिपत्य से एवं किसी भी अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में चोरी गई भैंसे जप्त नहीं हुईं। वहीं मैमोरेण्डम प्रदर्श—पी—8 व 9 में अभियुक्त पारस सैन व अभियुक्त सगीर के द्वारा स्वयं व अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध की गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राहय नहीं है।
- 22— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में सफल नहीं हुआ कि दिनांक 18.01.2010 को दोपहर करीबन 01:00 बजे मेला ग्राउण्ड के पास बाय पास रोड चंदेरी से फरियादी जयनारायण के आधिपत्य की तीन भैंसे व एक पड़ा उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले जाने का आशय रखते हुये उन्हें हटा कर चोरी कारित की एवं अभियुक्त पारस सैन एवं अभियुक्त मोहम्मद सगीर ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी के तीन भैंस व एक पड़ा को यह जानते हुये अथवा यह विश्वास करने का कारण रखते हुये कि वह चुराये हुये हैं, उन्हें छुपाने में या व्ययनीत करने या इधर उधर करने में अभियुक्त अमोल सिंह व पूरन सिंह की स्वेच्छया सहायता की।
- 23— फलतः अभियुक्त पूरन सिंह पुत्र कोमल सिंह एवं अमोल सिंह पुत्र तोरन सिंह यादव के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 379 के आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भा०द०वि० की धारा 379 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है एवं अभियुक्त पारस पुत्र आशाराम सैन एवं मोहम्मद सगीर पुत्र कल्लू खां के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 414 के आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भा०द०वि० की धारा 414 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 24— अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति

(10) <u>दांडिक प्रकरण क.-612/2010</u>

पूर्व से पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दनामा वाद मियाद अपील भार मुक्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत मेरे बोलने पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)